मे जारी हुए

3-6-2015 आज लोक अदालत शिविर जमालकौंदा में कल्लू पुत्र अर्जुन जाति जोगी निवासी धूधूपुरा ने दावा इस आशय का पेश किया कि भूमि ख०नं० $\frac{370}{0.87}$ ग्राम धूधूपुरा में वादी के पिता का नाम गलत रूप से हरचंदा दर्ज कर दिया है जबकि हरचन्दा वादी का ताऊ था जो ला-औलाद फौत हो जाने के कारण भूमि का एकमात्र वारिस वादी ही है। अतः उपरोक्त भूमि मे दर्ज नाम कल्लू पुत्र हरचंदा जाति जोगी को हजफ कर सम्पूर्ण भूमि की खातेदारी कल्लू पुत्र अर्जुन के नाम दर्ज करने की घोषणा की जावे।

प्रस्तुत दावे पर तहसीलदार गंगापुर की रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार गंगापुर ने अपनी रिपोर्ट मे अंकित किया है कि ग्राम धूधूपुरा की जमाबंदी सं० 2071-74 के खाता सं० 25 मे खातेदारी कल्लू पुत्र हरचन्द हि० $\frac{55}{68}$, कल्लू पुत्र अर्जुन हि० $\frac{13}{68}$ कौम जोगी दर्ज है। मजमे आम मे जाँच मे पाया गया कि चूरा नाथ के तीन पुत्र अर्जुन, गोपी उर्फ गिल्ली, हरचन्दा थे। इनमे गोपी उर्फ गिल्ली, हरचन्दा ला औलाद मर गए। अर्जुन के दो पुत्र कल्लू व सरवन थे जिनमे सरवन भी औलाद मर चुका है। इस प्रकार सम्पूर्ण खाते मे विरासत कल्लू पुत्र हरचन्द हि० $\frac{55}{68}$, कल्लू पुत्र अर्जुन हि० $\frac{13}{68}$ जाति जोगी दर्ज है। कल्लू के वास्तविक पिता का नाम अर्जुन है। तहसीलदार गंगापुर ने अपनी रिपोर्ट के साथ फर्द मौका भी प्रस्तुत किया है।

प्रस्तुत रिपोर्ट, फर्द मौका का अवलोकन किया गया। वादी कल्लू के बयान लिए गए। प्रस्तुत रिपोर्ट, फर्द मौका व बयान वादी के अनुसार वादग्रस्त भूमि

कल्लू

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की में जार्र
	का एकमात्र खातेदार कल्लू पुत्र अर्जुन ही है क्योंकि हरचंद का औलाद मरा है जिसकी विरासत वादी के नाम ही आई है परन्तु जमाबंदी में कल्लू के पिता का नाम हरचन्द गलत दर्ज कर दिया गया है। इस प्रकार प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ~~क~~ भूमि ख० नं० 370 रकबा 87 एयर ग्राम धुन्धूपुरा की खातेदारी वादी कल्लू पुत्र अर्जुन अपने नाम दर्ज कराने का अधिकारी है। अतः वाद वादी डिक्री किया जाकर भूमि ख० नं० ~~570~~ 370 रकबा 87 एयर ग्राम धुन्धूपुरा का वादी कल्लू पुत्र अर्जुन जोगी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इस ख० नं० की जमाबंदी सं० 2071-74 खाता सं० 25 में दर्ज प्रविष्टियां हजफ की जाकर सम्पूर्ण रकबे की खातेदारी कल्लू पुत्र अर्जुन जाति जोगी के नाम दर्ज की जावे। पर्चा डिक्री जारी किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। ~~[illegible]~~ (सतीश कुमार) (मुनिदेव यादव) सदस्य — अध्यक्ष लोक अदालत — लोक अदालत गंगापुर सिटी — गंगापुर सिटी एवं उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी	

नम्बर व अहकाम हुक्म की में जारी
...नी ...सकी ...न्यान्द ...कार ...क्ठनं० ...की ...ने ...कर ...यर ...र्जुन ...या ...यां ...तेदारी ...म ...वे। ...मदो ...दव) ...क्टर

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) बामनबडौदा

पीठासीन अधिकारी–: मुनिदेव यादव, आर.ए.एस.

उनवान

1. कल्लू पुत्र अर्जुन जाति जोगी निवासी बामनबडौदा तहसील गंगापुर सिटी ——वादी

बनाम

लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी ——प्रतिवादी

दावा घोषणां खातेदारी

मुकदमा नं. – 59A/2015

वादी की ओर से वादी कल्लू की व प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादी लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी की उपस्थिति में इस वाद मे आज तारीख 19.6.2015 को मुनिदेव यादव (पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि और डिक्री दी जाती है कि

भूमि ख0नं0 370 रकबा 87 एयर ग्राम धूधूपुरा का वादी कल्लू पुत्र अर्जुन, जोगी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इस ख0नं0 की जमाबंदी सं0 2071–74 खाता सं0 25 में दर्ज प्रविष्टियां हजफ की जाकर सम्पूर्ण रकबे की खातेदारी कल्लू पुत्र अर्जुन जाति जोगी के नाम दर्ज की जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे।

यह आज तारीख 19.6.2015 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (स.मा.) सत्यमेव जयते

मुनिदेव यादव
उपखंड अधिकारी
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वादपत्र के लिए स्टाम्प 2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4 ....रूपये पर प्लीडर की फीस 5 साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय 6 कमिश्नर की फीस 7 आदेशिका की तामील		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड		जोड	